कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.09.2024

विषय:- आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांछित 02 अभियुक्तगण 1- सुबेदार राजभर व 2- हरिराम यादव थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0377/2023 धारा 306 भा0द0वि0 थाना चोलापुर से सम्बन्धित वाछिंत नामजद अभियुक्तगण 1- सुबेदार राजभर पुत्र रामदुलार राजभर निवासी गहनी थाना चोलापुर जनपद वाराणसी व 2- हरिराम यादव पुत्र स्व0 रामसूरत यादव निवासी ग्राम अजोर पट्टी आयर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को मोहाव प्राचीन हनुमान मंदिर पानी टंकी थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से दिनांक-22.09.2024 को समय करीब 17.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- माननीय न्यायालय के 156(3) सीआरपीसी के आदेश के अनुपालन मे प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक-30.08.2023 को विपक्षीगण द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती दीपमाला विश्वकर्मा पत्नी स्व0 रतन कुमार विश्वकर्मा निवासिनी-सामने घाट लंका थाना लंका जिला वाराणसी के पति रतन कुमार विश्वकर्मा को व्यापार के सम्बन्ध में मीटिंग हेतु दबाव बनाकर घर से लेकर चले जाने तथा साजिश के तहत वादिनी के पति की हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना चोलापुर मे मु0अ0सं0-0377/2023 धारा 302,368,120-बी भा0द0वि0 प्रतिवादीगण हरीराम यादव, सूबेदार राजभर व अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष ईश्वर दयाल दूबे द्वारा संपादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 302,368,120-बी भा0द0वि0 का विलोपन किया गया एवं धारा 306 भा0द0वि0 में तरमीम किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1- सुबेदार राजभर पुत्र रामदुलार राजभर निवासी गहनी थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 47 वर्ष।
2- हरिराम यादव पुत्र स्व0 रामसूरत यादव निवासी ग्राम अजोर पट्टी आयर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 35 वर्ष।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण-

1- अभियुक्त हरिराम यादव ने पूछताछ करने पर बताया कि सुबेदार राजभर ने एम0एम0 एसोसिएट शेयर मार्केट के रतन कुमार विश्वकर्मा से बात करके मुझे शेयर मार्केट मे शरीख होने के सम्बन्ध मे बताया तो मैंने अपनी जमीन को सट्टा पर रखा और युनियन बैंक मुर्दहा मे खाता नम्बर 130159 से मुबलिक 1600000/-(सोलह लाख रुपया) मैंने एम0एम0 एसोसिएट फर्म के खाता नम्बर 628305502189 मे ट्रांसफर किया तथा उसी दिन कचहरी वाराणसी मे जाकर मृतक रतन कुमार को 400000/-(चार लाख रुपया) सुबेदार के समाने बाई हैण्ड दिया था। कुछ दिन तक मृतक रतन कुमार 6% की दर से हर माह

निवेश करता था। मैंने अपना पैसा लेने के लिए रतन कुमार से काफी प्रयास किया किन्तु मुझे पैसा वापस नहीं मिला। दिनांक-11.02.2023 को रतन कुमार आयर बाजार आया था और रुपया वापस करने की बात किया था एवं खाना खाकर मेरे मकान की कोठरी मे सोया था, सुबह मुझे जानकारी हुई कि रतन कुमार गले मे फन्दा लगा कर पन्खे से लटक गया है।

2- अभियुक्त सुबेदार राजभर ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं एम0एम0 एसोसिएट फर्म के मालिक मृतक रतन कुमार से शेयर मार्केट से जुडा था और काफी लोगों को भी उससे सम्पर्क करवाया था। मैंने एसोसिएट फर्म मे जिसका एकाउट नम्बर-628305502189 शिवपुर अपने खाते से 360000/- (तीन लाख साठ हजार रुपया) आर0टी0जी0एस0 के द्वारा एकाउट मे भेजा था तथा अन्य लोगों से शेयर मार्केट के लिए 13 लाख रुपया लिया था और उसे भी एम0एम0 एसोसिएट फर्म में दिया था। मृतक रतन कुमार द्वारा मुझे 8-10 लाख रुपया वापस किया गया था, जिसे एम0एम0 एसोसिएट फर्म से जुडे लोगों को मैंने वापस किया था। एम0एम0 एसोसिएट फर्म के मालिक आगा आरसी मिर्जा व रतन कुमार विश्वकर्मा दोनों पार्टनर थे, जिनका कार्यालय पाण्डेयपुर मे था। रुपये-पैसे का लेन-देन मृतक रतन कुमार द्वारा किया जाता था। जब भी रुपया एमएम एसोसिएट फर्म के एकाउन्ट न0- 628305502189 मे जामा करते थे तो आईसीआईसी बैंक खाता नम्बर 3800998198 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया व खाता नम्बर 2714722576 कोटक बैंक मे जामा होता था। शेष रुपया लेने के लिए मैंने मृतक रतन कुमार से काफी प्रयास किया तो मृतक रतन कुमार सिर्फ रुपया देने का वादा करते रहें। दिनांक-11.02.2023 को वे हरिराम के घर आये थे तब भी रुपया वापस करने के सम्बन्ध में बात हुई थी। वह खाना खाकर हरिराम के मकान में सोये थे और सुबह जानकारी हुई कि रतन कुमार कोठरी मे पन्खा से गले में फन्दा लगाकर लटक गये हैं और उनकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- मोहाव प्राचीन हनुमान मंदिर पानी टंकी थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से दिनांक-22.09.2024 को समय करीब 17.30 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष ईश्वर दयाल दूबे थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे0का0 रामजी यादव थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 अमित सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।